राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

क्र.स.	अपील संख्या	प्रत्यर्थी विभाग का नाम	अपीलार्थी की ओर से	प्रत्यत्यर्थी विभाग की ओर से	आलोच्य आदेश दिनांक	प्रस्तुत करने की तिथि
1.	**62 / 2025 दिनेश चन्द**	1. शासन सचिव, गृह, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर। 3. पुलिस अधिक्षक, बांसवाड़ा।	**श्री सम्पत प्रजापत**	**श्री हेमन्त परमार**	**14.01.2025**	**20.01. 2025**
2.	**102 / 2025 राजेन्द्र सिंह**	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, जयपुर	**श्री देवेन्द्र सांवलोत**		**15.01.2025**	
3.	**103 / 2025 प्रमोद कुमार**	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू। 4. मोनिका कुमारी, नर्सिंग अधिकारी, एमडीएम अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।				
4.	**114 / 2025 महेन्द्र सोनी**	1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर 2. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर। 3. निदेशक, अराजपत्रित एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रशासनिक, पंचायती राज, चिकित्सा, जयपुर। 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली।	**श्री हापूराम विश्नोई**		**15.01.2025**	**20.01. 2025**
5.	**115 / 2025 ग्यारसी लाल शर्मा**	1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर।	**श्री वीएलएस राजपुरोहित**		**15.01.2025**	**20.01. 2025**
6.	**118 / 2025 चिमनलाल माईड़ा**	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर। 2. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर। 3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रुप–2, और पंचायती राज, (चिकित्सा), जयपुर।	**श्री सुरेश खाडव**			

		4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा। 5. चिकित्सा अधिकारी, उप केन्द्र अस्पताल, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। 6. चिकित्सा अधिकारी, उप केन्द्र अस्पताल, बांसवाड़ा।				
7.	**130/2025 डॉ. पंकज डामोर**	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2.संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रुप-2, शासन सचिवालय, जयपुर।	**श्री हिमांशु श्रीमाली**	**श्री हेमन्त परमार**	**15.01.2025**	**21.01. 2025**

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.01.2025

उपस्थिति :–

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 62/2025 दिनेश चन्द बनाम शासन सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।
3. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीआईडी, आईबी, बांसवाड़ा में 504 कि.मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी जाकर पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी को स्थानान्तरण के दौरान टीए/डीए भी स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक की 14.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तरण कार्य करने दिया जावे।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।
6. अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
7. मूल आदेश अपील संख्या 62/2025 दिनेश चन्द बनाम शासन सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(असलम मेहर) **सदस्य**	**(लेखराज तोसावड़ा)** **सदस्य**